सं0:–ई0डी0एन0–एच0ई0(21)ए0(03)06 / 2020–वी–भाग–1
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:0177&2653120, Extn-234
E-mail:dhe-sml-hp@gov.in, Fax:2812882

दिनांक शिमला–1 06 फरवरी,2021

सेवा में

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय,
   हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा,
   हिमाचल प्रदेश
3. समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
   राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशालाएं,
   हिमाचल प्रदेश

विषयः– **हिमाचल प्रदेश मंत्रीमण्डल की दिनांक 05–02–2021 को आयोजित बैठक में शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए पुनः खोलने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रीमण्डल की दिनांक 05–02–2021 को आयोजित बैठक में शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए पुनः खोलने बारे अनौपचारिक चर्चा के उपरान्त निर्णय लिए गए किः–

- **सरकाघाट उप–मण्डल, जिला मण्डी, के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान दिनांक 08–02–2021 से खुल जाएगें।**
- **यदि प्रदेश के किसी शिक्षण संस्थान में कार्यरत कोई अध्यापक / कर्मचारी अथवा कोई छात्र कोविड पोजिटिव पाया जाता है तो उस अकेले संस्थान को एस0डी0एम0ए0 प्रोटोकॉल के अनुसार सेनेटाईजेशन उपरांत 48 घंटे बंद रखकर खोल दिया जाएगा।**
- **प्रदेश में कक्षा 6 व कक्षा 7 के बच्चे भी दिनांक 15–02–2021 से पाठशालाओं में शिक्षण हेतु आ सकेगें।**
- **प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 4 के बच्चे घर से ही ऑनलाईन शिक्षा ग्रहण करते रहेगें तथा उनकी वार्षिक परीक्षाएं (एफ0ए0 4 व एस0ए0 2) भी घर से ही ऑनलाईन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।**
- **एहतियात के तौर प्रदेश के स्कूलों में मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत पका हुआ भोजन परोसने की व्यवस्था दिनांक 31–03–2021 तक स्थगित रहेगी। इस दौरान बच्चों पर खर्च होने वाली राशि उनके /अभिभावक के बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी।**
- **विद्यार्थियों के लिए 2021–2022 का शिक्षण सत्र 01–04–2021 से आरंभ होगा तथा आरंभ में पिछली कक्षा के सलेबस की दोहराई भी करवाई जाएगी।**

उपरोक्त के मद्देनज़र, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि मामले में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही की जाए तथा इन निर्णयों / दिशानिर्देशों को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की जानकारी हेतु सार्वजनिक करने हेतु इसे शिक्षण संस्थान के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2020 व दिनांक 05 अक्तुबर 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रियाएं जो इस निदेशालय द्वारा पत्र संख्याःई0डी0एन0–एच0ई0(21)ए0(3)06/2020–वी दिनांक 12 अक्तुबर 2020 तथा पत्र संख्या सम दिनांक 30 जनवरी को पुनः प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों को अनुपालन हेतु जारी की गई है जोकि विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है, का अक्षःरक्ष पालन किया जाए।

(डा0 प्रमोद चौहान),
अति0 शिक्षा निदेशक उच्चतर(महा0 संवर्ग),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–1 06 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1.
3. राज्य परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला–1.
4. तकनिकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौधोगिकी कक्ष, को पत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बारे।
5. रक्षक नस्ति।

अति0 शिक्षा निदेशक उच्चतर(महा0 संवर्ग),
हिमाचल प्रदेश

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि0प्र0
06 FEB 2021